बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं0सं0–9/विविध–13–01/2025(स्वा0) ..../ पटना, दिनांकः–...............................

डॉ० मनीष कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरिपुर चौक, पण्डौल, मधुबनी द्वारा आवेदन समर्पित कर अवगत कराया गया कि विभागीय अधिसूचना सं०–1190(2) दिनांक–02.09.2021 के द्वारा चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरिपुर चौक, पण्डौल के पद पर प्रभार ग्रहण कर दिनांक–27.03.2022 तक नियमित रूप से कर्त्तव्य पर उपस्थित रहे। पिता जी के अस्वस्थता एवं स्वयं की सड़क दूर्घटना में जख्मी होने के कारण दिनांक–28.03.2022 से कर्त्तव्य पर अनुपस्थित है। डॉ० कुमार के द्वारा स्वस्थ होने के उपरान्त पुनः पदस्थापित स्थान पर योगदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

2. डॉ० कुमार द्वारा योगदान करने हेतु किये गये अनुरोध के समीक्षोपरांत डॉ० कुमार का आवेदन स्वीकार करते हुए पूर्व के पदस्थापित स्थान पर योगदान कराने का निर्णय लिया गया है।

3. सिविल सर्जन, मधुबनी को निदेशित किया जाता है कि डॉ० कुमार को निर्गत आदेश के आलोक में योगदान स्वीकार करते हुए उन्हें पूर्व के पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कराया जाय। डॉ० कुमार का योगदान करने की सूचना अविलंब विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

4. डॉ० मनीष कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरिपुर चौक, पण्डौल, मधुबनी के विरूद्ध अनधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में विभागीय ज्ञापन सं०–1344(9) दिनांक–26.12.2024 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी है। तत्पश्चात् विभागीय कार्यवाही संचालित कर आलोच्य अवधि पर निर्णय लिया जाएगा।

5. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–9/विविध–13–01/2025(स्वा0) ..../ पटना, दिनांकः–...............................

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–9/विविध–13–01/2025(स्वा0) 934(9)/ पटना, दिनांकः–18.8.25

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा/सिविल सर्जन, मधुबनी को निदेशित किया जाता है कि डॉ० मनीष कुमार के कर्त्तव्य पर योगदान करने से संबंधित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

प्रतिलिपिः–डॉ० मनीष कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरिपुर चौक, पण्डौल, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना के निजी सहायक/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7, 8, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

18/08/2025

सरकार के अवर सचिव।